

शाखा का नाम _____ खाता सं. _____
ग्राहक आईडी _____

यदि पै न प्रस्तुत नहीं किया गया तो फॉर्म सं.60 (नियम 114बी का दूसरा प्रावधान देखें)

किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म नहीं) जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114 बी में निर्धारित कोई लेन-देन कर्ता है द्वारा घोषणा हेतु फॉर्म

1	प्रथम नाम																2	जन्म तारीख /घोषणाकर्ता का निर्गम		
	मध्य नाम																			
	उपनाम																			
3	पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)	प्रथम नाम																		
	मध्य नाम																			
	उपनाम																			
4	फ्लैट / रुम संख्या					5	फ्लोर संख्या													
6	परिसरों का नाम					7	ब्लॉक नाम / संख्या													
8	रोड / स्ट्रीट / लेन					9	क्षेत्र / स्थान													
10	कस्बा / शहर					11	जिला	12	राज्य											
13	पिन कोड					14	टेलिफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)	15	मोबाइल नंबर											
16	लेनदेन की राशि (रु.)					18	संयुक्त नाम पर लेन देन होने के मामले में लेन देन में शामिल सदस्यों की संख्या													
17	लेनदेन की तारीख																			
19	लेनदेन की प्रणाली: [] नकदी [] चेक [] कार्ड [] ड्राफ्ट/ बैंकर चेक [] ऑनलाइन अंतरण [] अन्य																			
20	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है)																			
21	यदि पै न के लिए आवेदन किया है और यदि अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आवेदन की तारीख और पावती संख्या प्रविष्ट करें																			
22	यदि पै न लागू नहीं है तो उपर्युक्त लेन देन जिस वित्तीय वर्ष में किया गया है उसके लिए कुल अनुमानित आय (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुरूप पति/पत्नी, नाबालिग आदि की आय सहित) भरें.																			
	क	कृपि आय (रु.)																		
	ख	कृपि आय के अलावा (रु.)																		
23	कॉलम 1 में निर्धारण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के विवरण (पीछे के पृष्ठ पर अनुदेशों का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज निर्धारण संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता																
24	कॉलम 4 से 13 में निर्धारण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के विवरण (पीछे के पृष्ठ पर अनुदेशों का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज निर्धारण संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता																

सत्यापन

मैं, _____ एतद्वारा घोषित करता हूँ उपरोक्त उल्लिखित सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुरूप सत्य है. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या (पै न) नहीं है और मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुरूप पति/पत्नी, नाबालिग शिशु आदि की आय सहित) की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप उस वित्तीय वर्ष के लिए है जिसमें उपरोक्त लेन देन की गई है और यह राशि कर योग्य अधिकतम राशि से कम है.
आज, _____ 20__ के _____ दिन सत्यापित.

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट :

- इस घोषणापत्र को हस्ताक्षरित करने से पहले घोषणाकर्ता को स्वयं को सभी तरीके से प्रस्तुत सूचना के सही, सत्य और पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट कर लेना चाहिए. घोषणा में गलत बयानी करने वाला कोई भी व्यक्ति आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग के लिए पात्र होगा और दोषी पाए जाने पर दंड का भी अधिकारी होगा.
 - क. ऐसे मामलों में जहां रु. पच्चीस लाख से अधिक राशि के कर से बचने का प्रयास किया गया है वहां दंड के साथ 6 महीनों से लेकर 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी.
 - ख. अन्य किसी मामले में दंड के साथ तीन महीने से लेकर दो साल की सख्त जेल की सजा दी जा सकती है.
2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति 22 बी में संदर्भित मद की प्रकृति की आय न हो ऐसी अधिकतम राशि से अधिक होने पर घोषणा स्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते पै न के लिए आवेदन किया गया हो और कॉलम 21 विधिवत रूप से पूर्ण हो.

अनुदेश :

- 1) पहचान और पते के समर्थन में उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज (यदि पैन हेतु आवेदन किया है और मद 20 का अनुपालन हो, आवश्यक नहीं)

क्र.संख्या	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान के साक्ष्य	पता का साक्ष्य
क	वैयक्तिकों एवं हिन्दु अविभक्त (एच.यू.एफ.) परिवार			
1	आधार कार्ड	01	हां	हां
2	व्यक्ति की फोटोग्राफ के साथ बैंक/ पोस्ट ऑफिस की पासबुक	02	हां	हां
3	मतदाता का फोटो पहचान कार्ड	03	हां	हां
4	व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ राशन / सार्वजनिक वितरण सिस्टम कार्ड	04	हां	हां
5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6	पासपोर्ट	06	हां	हां
7	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आरई पी एस) जाँव कार्ड	08	हां	हां
9	व्यक्ति के फोटो के साथ जाति या डोमिसाइल प्रमाणपत्र	09	हां	हां
10	फार्म 49 ए में अनुलग्नक ए में निर्धारित किए गए अनुसार सांसद या विधान परिषद का सदस्य या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान / पता प्रमाणपत्र	10	हां	हां
11	फॉर्म 49 ए में निर्धारित अनुलग्नक बी के अनुरूप नियोक्ता से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12	फोटों के साथ किसान पासबुक	12	हां	नहीं
13	हथियारों का लाइसेंस	13	हां	नहीं
14	केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना / पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15	सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड	15	हां	नहीं
16	विजली का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18	पानी का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19	उपभोक्ता गैस कार्ड /पुस्तिका या पाइपलाइन गैस बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20	बैंक खाता विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21	क्रेडिट कार्ड विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22	डिपोजिटरी खाता विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हां
24	सरकार से निवास स्थान का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
25	व्यक्ति के नाम के साथ पति/पत्नी का पासपोर्ट	25	नहीं	हां
26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख	व्यक्तियों के संघ हेतु (ट्रस्ट)			
	ट्रस्ट विलेख या चेरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	27	हां	हां
ग	व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट के अलावा) या वैयक्तिकों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति			
	करार की प्रति या चेरिटी कमिश्नर या सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसे किसी व्यक्ति के पहचान और पते को स्थापित करते हुए किसी केंद्र या राज्य सरकार विभाग द्वारा जारी अन्य कोई दस्तावेज	28	हां	हां

- 2) नाबालिग के नाम पर लेन-देन होने के मामले में नाबालिग के माता-पिता / अभिभावक के पहचान और पते के रूप में उपरोक्त उल्लिखित कोई भी दस्तावेज ऐसे नाबालिग घोषणाकर्ता के पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और यह घोषणा माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए.
- 3) हिन्दु अविभक्त परिवार के लिए इसके कर्ता के नाम पर कोई दस्तावेज की अनिवार्य होगा.
- 4) यदि लेन देन एक से अधिक लोगों के नाम पर है तो ऐसे मामले में व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख क्र.सं.18 में किया जाना चाहिए और लेन देन की कुल राशि क्र. सं.16 में भरी जानी चाहिए.
- कॉलम 22 वी में कुल अनुमानित आय के कर योग्य न होने पर अधिकतम राशि से अधिक होने के मामले में व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 21 भरना चाहिए और आवेदन प्रस्तुत करते समय साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए.